न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिवाना जिला बालोतरा

पीठासीन अधिकारी :—सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्याः—47 / 2025

प्रार्थी::—

मदनलाल पुत्र प्रतापजी जाति सुथान निरवासी बीजलिया तहसील सिवाना जिला बालोतरा

—::बनाम::—

विप्रार्थीगण::—

1. मिसराराम पुत्र ओखाराम जाति भील.निवासी बीजलिया तहसील सिवाना जिला बालोतरा
2. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितः—

1. श्री गणपतसिंह गोलिया व श्री ललित जांगिड वकील प्रार्थी
2. विप्रार्थी संख्या 1 व 2 अनुपस्थित

::आदेश::

दिनांकः— 13-10-2025

संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ख.सं. 261 रकबा 2.4277 हैक्टेयर ग्राम बीजलिया तहसील सिवाना में अवस्थित है, जिस पर प्रार्थी बहैसियत खातेदार काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। उक्त खसरे की बदशिा पूर्व से लगती विप्रार्थी सं. 1 की खातेदारी भूमि ख.स. 265 रकबा 2.4249 हैक्टेयर भूमि आई हुई है। प्रार्थी को अपने खेत से आवागमन हेतु, आवेदन के संलग्न प्रस्तुत नक्शा परिशिष्ट (अ) में बरंग लाल से दर्शाया गया है, विप्रार्थी सं. 1 के उक्त खेत में से प्रचलित कदीमी रास्ते से गुजरना पड़ता है, जो कि प्रार्थी के आवागमन का इकलौता विकल्प है और उसी रास्ते से प्रार्थी बरसात के मौसम में कृषि संयत्र लाते ले जाते है। विप्रार्थी संख्या 1 रास्ता अपनी खातेदारी में अवस्थित होने के कारण प्रार्थी के आवागमन में व्यवधान पैदा करते हैं, अतः प्रार्थी ने उक्त रास्ते की भूमि राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज करने तथा तदनुसार लट्ठा नक्शा में तरमीम करवाने हेतु यह आवेदन प्रस्तुत किया है व प्रभावित भूमि के बदले विप्रार्थी संख्या 1 को प्रतिफल की राशि अदा किये जाने की अपनी सहमति व्यक्त की। आवेदन पंजीयन कर जरिये नोटिस विप्रार्थीगण की तलबी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.11.18 19:10:33 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

विप्रार्थीगण के विरूद्ध बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है।

वकील प्रार्थी ने अपने आवेदन के समर्थन में अपनी खातेदारी भूमि एवं उससे लगती विप्रार्थी सं. 1 की खातेदारी भूमि की जमाबंदी एवं प्रस्तावित रास्ता दर्शाये हुए नजरी नक्शा प्रस्तुत किया तथा तहसीलदार सिवाना से आवेदन के तथ्यों के संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई।

प्रार्थी वकील की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस है कि प्रार्थी के खातेदारी खेत 261 रकबा 2.4277 हैक्टेयर से बदिशा पूर्व में स्थित विप्रार्थी संख्या 1 के खातेदारी भूमि खसरा संख्या 265 में तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा में बरंग लाल से दर्शाए गया रास्ता ही एक मात्र इकलौता, निकटतम एवं सुगम मार्ग है, जिससे प्रार्थी का परिवार आवागमन करता आ रहा है, उक्त रास्ते की प्रार्थी को आत्यंतिक आवश्यकता है। तहसीलदार सिवांना द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में प्रार्थी के खसरा संख्या 261 रकबा 2.4277 हैक्टेयर भूमि में आवगमन हेतु विप्रार्थी संख्या 1 के खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1265 में से290 मीटर लम्बाई व 4 मीटर चौडाई कुल 0. 1160 हैक्टयर भूमि तहसीलदार सिवाना के रिपोर्ट के संलग्न बरंग लाल में सरकारी खाते में गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज की जावे। प्रार्थी रास्ते में प्रभावित भूमि के बदले न्यायालय द्वारा निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि विप्रार्थी संख्या 1 को देने हेतु सहमत है।

हमने वकील प्रार्थी की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया। तहसीलदार सिवाना ने अपनी रिपोर्ट में खसरा संख्या 261 रकबा 2.4277 हैक्टेयर भूमि में आवागमन हेतु विप्रार्थी संख्या 1 के खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1265 में से 290 मीटर लम्बाई व 4 मीटर चौडाई कुल 0.1160 हैक्टयर भूमि मे से चाहा गया रास्ता ही सुविधाजनक ,निकटतम एवं एक मात्र वैकल्पिक रास्ता बताया है। प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि अत्यल्प होने के मद्देनजर प्रार्थी को

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Surandra Singh Khangarot
Date: 2025.11.18 19:10:33 IST
Reason: SelfAttested

विप्रार्थी संख्या 1 खसरा संख्या 265 मे से रास्ता दिलाये जाने हेतु निवेदन किया गया है। प्रार्थी के खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु विप्रार्थी संख्या 1 के खातेदारी भूमि में में रास्ते हेतु 290 मीटर लम्बाई व 4 मीटर चौडाई कुल 0.1160 हैक्टेयर भूमि प्रभावित होगी।

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम बिजलीया तहसील सिवाना की खसरा संख्या 261 रकबा 2.4277 हैक्टेयर भूमि में आवगमन हेतु विप्रार्थी संख्या 1 के खातेदारी भूमि खसरा संख्या 265 में से 290 मीटर लम्बाई व 4 मीटर चौडाई कुल 0.1160 हैक्टयर भूमि में तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शे में बरंग लाल से दर्शित भूमि, पर रास्ता निकालने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। रास्ते हेतु प्रभावित रकबे की गणना के पश्चात डी.एल.सी. दर की दुगनी राशि प्रार्थी द्वारा विप्रार्थी संख्या 1 को क्षतिपूर्ति के रूप में दी जावे तथा विप्रार्थी संख्या 1 द्वारा क्षतिपूर्ति राशि लेने से इन्कार की स्थिति में क्षतिपूर्ति राशि प्रार्थी द्वारा राजकोष में जमा करवाया जाने के पश्चात तहसीलदार सिवाना को तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद एवं लट्ठा नक्शा में दुरुस्ती किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है।

तहसीलदार सिवाना द्वारा जरिये पत्र कमांक–राजस्व/2025/900 दिनांक 17.09.2025 को प्रेषित मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

आदेश आज दिनांक 13.10.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.11.18 19:10:33 IST
Reason: SelfAttested

परिशिष्ट 'ब'

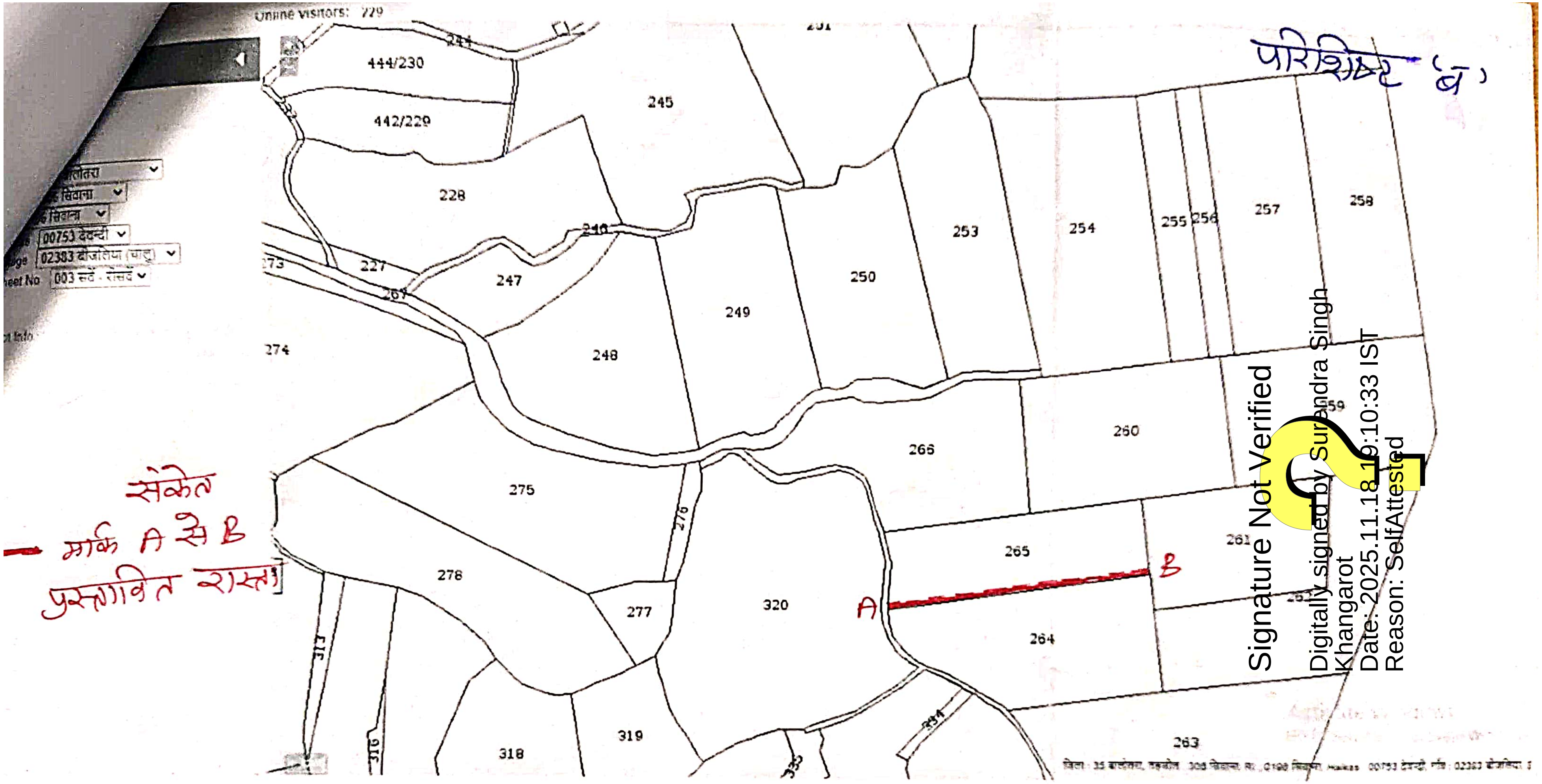

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.11.18 19:10:33 IST
Reason: SelfAttested

Ex-Court

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

दिनेश कुमार

प्रमाणित प्रतिलिपि
Azad
16/09/2025
पटवारी (भू.अ.) देवन्दी

16.09.25
सांवलराम
निरीक्षक (भू.अ.) सिवाना
तहसील-सिवाना (बाड़मेर)

तहसीलदार सिवाना